अनवान गुरदयाल सिंह बनाम जोगासिह व अन्य
वाद पत्र संख्या 010/2020

31.01.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – अनवानी वादपत्र में वादी गुरदयालसिंह की मृत्यू दिनांक 03.07.2023 को हो गई है। जिनके जायज वारिसान निम्न हैं:–

1. लाडकी बाई पत्नी गुरदयाल सिंह वीपीओ कोनी, श्रीगंगानगर
2. सुरेन्द्र कौर पुत्री गुरदयाल सिंह पत्नी हरपाल सिंह निवासी 1 एच बड़ा
3. कृष्ण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह वीपीओ कोनी, श्रीगंगानगर
4. जसवीर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह वीपीओ कोनी, श्रीगंगानगर
5. सोहन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह वीपीओ कोनी, श्रीगंगानगर
6. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह वीपीओ कोनी, श्रीगंगानगर
7. प्रकाश कौर पुत्री गुरदयाल सिंह वीपीओ कोनी, श्रीगंगानगर
8. परमजीत कौर पुत्री गुरदयाल सिंह वीपीओ कोनी, श्रीगंगानगर

न्यायहित में एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के अन्तर्गत उक्त सभी वारिसानों को वादी संख्या 1.1 से 1.8 के रूप में प्रतिस्थापित करना जरूरी है ताकि इन सभी को न्याय प्राप्त हो सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त सभी वारिसानों को वादी गुरदयाल सिंह (मृतक) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यानुसार वादी गुरदयाल सिंह प्रार्थीगण का पति/पिता है जिसकी मृत्यु दिनांक 03.07.2023 को होने के पश्चात प्रार्थीगण का अपने अधिवक्ता सें सम्पर्क नही हो पाया इस कारण प्रार्थी विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर पाया अब विगत तारीख पेशी पर प्रार्थीयान का अधिवक्ता से सम्पर्क होने पर प्रार्थी आज रोज आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थीगण अपने पिता वादी की मृत्यू के पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर पाये इसलिए प्रार्थीयान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर पाये प्रार्थीयान ने जानबुझकर देरी नहीं की। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि उक्त देरी को कन्डोन करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– आवेदन पत्र की मद संख्या 01 में अकिंत यह तथ्य स्वीकार है कि वादी गुरदयाल सिंह का देहान्त हो चुका है। बाकि तथ्य जो इस मद में अकिंत किये गये है वह बावजह गलत ब्यानी, स्वीकार नही है इन तथ्यो का सबुत प्रार्थी से लिया जावे। आवेदन पत्र की मद संख्या 02 में अकिंत तथ्य बावजह गलत ब्यानी स्वीकार नही है। प्रार्थीयान को उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित नही किया जा सकता है।

उपरोक्त आवेदन पत्र किस आधार पर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है क्योकिं कृष्णसिंह का वकालतनामा भी वर्तमान वाद में प्रस्तुत नही है। इस कारण बिना वकालतनामा के अधिवक्ता को आवेदन पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। इस कारण यह आवेदन पत्र सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत न होने के कारण इसी आधार पर ही निरस्त होने योग्य है। उक्त आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत पेश किया है जबकि आदेश 22 नियम 9 के तहत आवेदनपत्र पेश नही किया, जबकि अबेटमेंट सविवेक है इस कारण प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 9 के तहत पेश न होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। आवेदन पत्र किस प्रकार से अन्दर मियाद है क्योंकि मृत्यु की सूचना प्रतिवादी दरखास्त दिनांक 16.10.23 को प्रस्तुत कर दी गई थी किस प्रकार से आवेदन पत्र अन्दर मियाद है यह अकिंत नही किया। आवेदन पत्र मियाद बाहर होने के कारण इसी आधार पर खारिज होने योग्य है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दरखास्त प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2011 (3)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:10:52 IST
Reason: SelfAttested

DNJ (Raj) 1506 Rajasthan High Court Jaipur Bench and 2012 (3) DNJ (Raj) 1715 Rajasthan High Court Jaipur Bench प्रस्तुत किये है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त वाद में प्रार्थी कृष्ण सिंह की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत नही किया गया है। एवं प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ भी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है एवं ना ही किसी सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित किये गये है। पत्रावली में वादी गुरदयालसिंह की मृत्यु की सूचना प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जरिये दरखास्त दिनांक 16.10.2023 प्रस्तुत कर दी गई थी परन्तु प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 28.01.2025 को प्रस्तुत किया गया था जो कि दरखास्त प्रस्तुत करने के लगभग 15 महीनें बाद व वादी की मृत्यु के करीब 18 महीनें 15 दिन बाद प्रस्तुत की है तथा उक्त विलम्ब के लिये सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण भी नही दिया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है एवं वादी गुरदयाल सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या नया 010/2020 पुराना 67/2015 अनवानी गुरदयाल सिंह बनाम जोगा सिंह व अन्य का उपशमन किया जाता है। पत्रावली के साथ आदेश दिनांक 16.01.23 से एकीकृत पत्रावली संख्या 2021/043 अनवानी कृष्णसिंह व अन्य बनाम गुरदयाल सिंह व अन्य में निर्णय की प्रति संलग्न हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से दिनांक 31.01.2025 को सुनाया गया।

स्वाति गुप्ता
(R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:10:52 IST
Reason: SelfAttested